राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	अधिवक्तागण
1.	357/2025	पुष्पेन्द्र मीणा	राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान जयपुर एवं अन्य	श्री सुरेन्द्र सिंह
2.	1975/2025	कमल कुमार शर्मा	प्रमुख शासन सचिव, सांख्यिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य	श्री उम्मेद सिंह तंवर

आदेश की दिनांक : 11.03.2025

उपस्थिति :–

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त तालिका में अंकित दोनो अपीलों में समान तथ्यों एवं समान विवाद बिन्दु है। ऐसे में दोनों अपीलों में यह समान आदेश पारित किया जा रहा है। अपीलार्थी पुष्पेन्द्र मीणा ने अपील संख्या 357/2025 में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी संगणक के पद पर कार्यालय सहायक खनिज अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, दौसा में कार्यरत है, जिसका आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से 400 किमी. दूर ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, तिवरी जोधपुर में किया गया है। इस अपील में अपीलार्थी का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी सहायक खनिज अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, दौसा में पदस्थापित है, जबकि आलोच्य आदेश में अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापन स्थान खनिज अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, दौसा दर्शाया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी का स्थानांतरण बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये किया गया है। अपील संख्या 357/2025 में इस अधिकरण ने अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 28.01.2025 पारित कर अपीलार्थी के स्थानांतरण के संबंध में आलोच्य आदेश की क्रियान्विति अधिकरण के आगामी आदेशों तक स्थगित रखी थी।
2. अपील संख्या 1975/2025 में अपीलार्थी कमल कुमार ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि आदेश दिनाक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी पुष्पेन्द्र मीणा का पदस्थापन खनिज अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, दौसा से ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, तिवरी जोधपुर में किया गया था, और अपीलार्थी कमल

कुमार का स्थानांतरण ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, धौलपुर जिला धौलपुर से खनिज अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, दौसा में पुष्पेंद्र मीणा के स्थान पर किया गया था। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी कमल कुमार ने सहायक खनिज अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, दौसा में कार्यग्रहण कर लिया था। कार्यग्रहण करने के पश्चात् आदेश दिनांक 31.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी कमल कुमार को कार्यमुक्त कर अपनी उपस्थिति निदेशक, आर्थिकी एवं सांख्यिकी, राजस्थान, जयपुर में देने के लिये निर्देश दिये गये। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी पुष्पेन्द्र मीणा के मामले में अधिकरण द्वारा पूर्व में आदेश दिनांक 28.01.2025 की पालना में अपीलार्थी पुष्पेन्द्र को सहायक खनिज अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, दौसा में पदस्थापित रखा है। इस कारण से अपीलार्थी कमल कुमार को कार्यमुक्त किया गया है। अपीलार्थी कमल कुमार ने अपील संख्या 1975/2025 में अपने कार्यमुक्ति आदेश को चुनौती दी है।

3. अपीलार्थी पुष्पेन्द्र मीणा के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये किया गया है। अतः स्थानांतरण आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। बहस के दौरान हमारे समक्ष आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2025 की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसमें विभाग ने अपीलार्थी पुष्पेन्द्र मीणा के स्थानांतरण के संबंध में पारित आदेश दिनांक 15.01.2025 में संशोधन कर खनिज अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, दौसा के स्थान पर सहायक खनिज अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, दौसा पढे जाने के आदेश दिये हैं। इस संबंध में अपीलार्थी पुष्पेन्द्र के अधिवक्ता का तर्क है कि चूंकि मूल आदेश दिनांक 15.01.2025 बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये पारित किया गया है, ऐसे में संशोधन से त्रुटि में सुधार नहीं हो सकता और मूल आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

4. अपीलार्थी कमल कुमार के अधिवक्ता का तर्क है कि चूंकि मूल आदेश में संशोधन किया जा चुका है, ऐसे में अपीलार्थी पुष्पेन्द्र मीणा द्वारा उठाया गया आधार अब समाप्त हो चुका है, अतः अधिकरण द्वारा पारित अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 28.01.2025 निरस्त किये जाने योग्य है। चूंकि स्थगन आदेश की पालना में अपीलार्थी कमल कुमार को कार्यमुक्त कर निदेशालय में उपस्थिति देने के निर्देश दिये गये थे, ऐसे में उक्त आदेश जो कि पारिणामिक आदेश हैं, वह भी निरस्त किये जाने योग्य है।

5. हमनें दोनो पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

6. हम पाते हैं कि अपील संख्या 357/2025 में अपीलार्थी पुष्पेन्द्र मीणा ने स्थानांतरण आदेश को इस आधार पर चुनौती दी थी कि अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापन स्थान गलत अंकित किया गया है, जो बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये पारित किया गया है। हम पाते हैं कि पुष्पेन्द्र मीणा के स्थानांतरण आदेश के संबंध में विभाग द्वारा आदेश दिनांक 28.02.2025 पारित किया गया है, जिसमें निम्न प्रकार से आदेश पारित किये गये हैं :–

> *''विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 13023847 (राजकाज रेफ.नं.) दिनांक 15.01.2025 में क्रम संख्या 73 एवं 74 अंकित कार्यालय का नाम खनि अभियंता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, दौसा के स्थान पर सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, दौसा पढा जावे।''*

7. इस प्रकार अपीलार्थी के वर्तमान पदस्थापन स्थान में जो त्रुटि हुई थी, उसमें सुधार करते हुये खनिज अभियंता के स्थान पर सहायक खनिज अभियंता पढे जाने के आदेश पारित किये गये हैं। खनिज अभियंता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, दौसा का कोई कार्यालय दौसा में नहीं है, केवल खनिज अभियंता का कार्यालय है। अतः त्रुटि टंकण त्रुटि ही मानी जा सकती है। इस प्रकार जो टंकण की त्रुटि हुई थी, उसमें विभाग द्वारा सुधार किया गया है। अब अपीलार्थी के संबंध में संशोधन स्थानांतरण आदेश को पढा जायेगा, जो कि सहायक खनिज अभियंता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, दौसा है। अब अपीलार्थी पुष्पेन्द्र मीणा का यह तर्क माने जाने योग्य नहीं हैं कि प्रत्यर्थी विभाग ने बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापन स्थान गलत अंकित किया है। परिणामस्वरूप हम पाते हैं कि अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश में कोई त्रुटि नहीं है, जिसकी पालना किये जाने में कोई बाधा नहीं है।

8. हम पाते हैं कि अपीलार्थी कमल कुमार का स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी पुष्पेन्द्र मीणा के स्थान पर खनिज अभियंता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, दौसा में किया गया था, परंतु चूंकि अपीलार्थी पुष्पेन्द्र मीणा के पक्ष में इस अधिकरण ने अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया था। इस कारण से अपीलार्थी कमल कुमार को कार्यमुक्त कर निदेशालय में उपस्थिति देने के निर्देश दिये गये थे। चूंकि अब मूल आदेश दिनांक 15.01.2025 में कोई त्रुटि नहीं रही है।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम पाते हैं कि अपील संख्या 357/2025 में अपीलार्थी पुष्पेन्द्र मीणा के स्थानांतरण के संबंध में कोई त्रुटि शेष नहीं रही है, ऐसे में अब अपील में कोई बल नहीं होने से खारिज की जाती है एवं अधिकरण

द्वारा पारित अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 28.01.2025 को निरस्त किया जाता है। अपील संख्या 1975/2025 स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी कमल कुमार के संबंध में पारित कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 31.01.2025 को निरस्त किया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थीगण के संबंध में स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 की पालना करवाने के लिये स्वतंत्र है।

10. मूल आदेश अपील संख्या 357/2025 में एवं छायाप्रति अपील संख्या 1975/2025 में संलग्न की जावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)